



सूचना के अधिकार से संबंधित तीसरे पक्ष की ऑडिट रिपोर्ट (2025-26)

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज), हैदराबाद

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

Right to Information Related Third Party Audit Report (2025-26)

National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE), Hyderabad

(Department of Agriculture & Farmers Welfare)

प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने; सार्वजनिक सेवाओं के प्रदाता और उनके लाभार्थियों के बीच की दूरी को कम करने; नागरिकों को फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल करने; प्रशासन को ज़िम्मेदार और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने; लोकतंत्र की नींव को मज़बूत करने और जागरूक नागरिक तैयार करने के मकसद से सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 में ढांचागत पारदर्शिता और जवाबदेही को अपवाद के बजाय कानूनी नियम के तौर पर स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

To Promote openness, transparency and accountability in the working of every public authority; for bridging the gap between providers and beneficiaries of public services; to make citizens part of decision making; to make administration responsive and corruption free; to strengthen the foundation of democracy and to create informed citizenry; RTI Act-2005 envisions the establishment of structural transparency and accountability as the statutory norms rather than exceptions.

RTI एक्ट की धारा 4, सरकारी संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। जहाँ धारा 4(1)(a) रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए सामान्य दिशानिर्देश देती है ताकि जानकारी को आसानी से स्टोर और सुरक्षित रखा जा सके, वहीं धारा 4 की उप-धाराएँ b, c और d संस्था के उद्देश्यों और कार्यों से संबंधित हैं। RTI एक्ट की धारा 4 की उप-धाराओं (b), (c) और (d) तथा अन्य संबंधित जानकारी को छह श्रेणियों में बांटा जा सकता है; जैसे:

The RTI Act under section 4 provides a comprehensive framework for promoting openness in the functioning of the public authorities. While Section 4(1) (a) provides a general guideline for record management, so that the information could be easily stored and retained, the sub-sections b, c and d of Section 4 relate to the organizational objects and functions. Sub-sections (b), (c) and (d) of Section 4 of the RTI Act and other related information can be grouped under six categories; namely,

- 1- संगठन और कार्य (Organization and function)
- 2- बजट और कार्यक्रम (Budget and programmes)
- 3- प्रचार-प्रसार और जनता से संपर्क (Publicity and public interface)
- 4- ई-गवर्नेंस (E-governance)
- 5- निर्धारित जानकारी (Information as prescribed)
- 6- अपनी पहल पर दी गई जानकारी (Information disclosed by own initiative)

RTI एक्ट, 2005 की धारा 4 के तहत 'स्वतः जानकारी देने' की व्यवस्था को लागू करने के लिए, DoPT (भारत सरकार) ने 15 अप्रैल, 2013 को कार्यालय जापन- 1/6/2022-IR जारी किया था, इसमें पूर्वोक्त सभी तरह की जानकारी के बारे में विस्तार से बताया गया था जिन्हें सार्वजनिक करना ज़रूरी है। इसके अलावा, DoPT ने 10-12-2013 और 22-9-2014 को जारी कार्यालय जापन के ज़रिए सभी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक प्राधिकरणों से कहा कि वे 15-4-2013 के कार्यालय जापन में दी गई गाइडलाइंस का पालन करें और 'प्रोएक्टिव डिस्कलोज़र पैकेज' का किसी तीसरे पक्ष से ऑडिट भी करवाएं।

For implementation of Suo motu disclosure under Section 4 of RTI Act, 2005; a detailed guideline, explaining each category aforementioned above of disclosable information, was issued by DoPT, Gol vide Office Memorandum No. 1/6/2022-IR dated 15th April, 2013. Further, DoPT vide OM dated 10-12-2013 and 22-9-2014 requested all the Ministries/Departments/Public Authorities to comply with O.M. guidelines dated 15-4-2013 and also the proactive disclosure package to be got audited by a third party.

इसी क्रम में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के आरटीआई तृतीय पक्ष ऑडिटर ने CIC पोर्टल पर भरे हुए स्व-मूल्यांकन फॉर्म में दर्ज जानकारी के आधार पर राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज), हैदराबाद के वेबसाइट की जाँच की और पाया कि 1987 में स्थापित इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्षमता निर्माण, अनुसंधान, नवाचार, ज्ञान के प्रसार और संस्थागत सहयोग पर आधारित प्रभावी विस्तार प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से भारत में कृषि उत्पादकता एवं टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, अनुसंधान और किसानों के बीच की खाई को पाटने के लिए विस्तार पेशवरों को आधुनिक कौशल और ज्ञान से सशक्त बनाना, तथा कृषि कार्यक्रमों के प्रभाव को बढ़ाने के साथ साथ कृषि-व्यवसाय विकास में सहयोग करना है।

In this context, the RTI Third Party Auditor of Indian Agricultural Research Institute examined the website of National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE), Hyderabad based on information provided in the self-assessment form submitted on CIC portal. It was found that the objectives of this institution, established in 1987, are to promote agricultural productivity and sustainable agricultural through effective extension management—based on capacity building, research, innovation, knowledge dissemination, and institutional collaboration; to empower extension professionals with modern skills to bridge the gap between research and farmers, and to support agribusiness development and to enhance the impact of agricultural programs.

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज), हैदराबाद के वेबसाइट पर दी गई जानकारी से कृषि विस्तार ऑफिसर, किसान, मछुआरे, इनपुट डीलर, एग्री-एंटरप्रेन्योर, शिक्षाविद, छात्र, निजी क्षेत्र, एनजीओ, वित्तीय संस्थान, नीति-निर्माता और आम लोग लाभान्वित होंगे। हालाँकि, आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के तहत सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण के तहत भविष्य के संदर्भ के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जा सकता है: -

The information provided on the website of National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE), Hyderabad will benefit agricultural extension officers, farmers, fishers, input dealers, agri-entrepreneurs, academicians, students, private sector, NGOs, financial institutions, policymakers as well as general public. However, under the proactive disclosure of information under Section 4 of the RTI Act, the following may be noted for future reference: -

1. MANAGE द्वारा RTI एक्ट की धारा 4 के तहत 'स्वतः प्रकटीकरण' पैकेज को 'स्व-मूल्यांकन फॉर्म/रिपोर्ट' में बताई गई जानकारी के अनुसार व्यवस्थित किया गया है जिसके तहत उपलब्ध 2023-24 तक बजट आवंटन एवं खर्च एवं 2023-24 के RTI तृतीय पक्ष का ऑडिट रिपोर्ट आदि को अद्यतन किया जा सकता है। संसदीय प्रश्न के साथ उनके उत्तर की सूचना, अधिकारियों के विदेशी/घरेलू दौरों के बारे में जानकारी आदि के असंबद्ध लिंक को खुलने योग्य लिंक में बदला जा सकता है। मासिक वेतन एवं भत्ते में लेवल की जगह मूल वेतन के साथ साथ भत्ते की पूरी जानकारी दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी सूचनाओं/विवरणों को कम से कम साल में एक बार जरूर अद्यतन किया जाना चाहिए। यदि किसी वर्ष के लिए कोई सूचना उपलब्ध नहीं है तो NIL रिपोर्ट दी जा सकती है।

The 'Self-Disclosure' package under Section 4 of the RTI Act has been organized by MANAGE as per the information disclosed in the 'Self-Assessment Form/Report' which requires updating of budget allocation and expenditure available for 2023-24 and RTI third party audit report for 2023-24 etc. Inactive links—such as those related to parliamentary questions and their answers, and details regarding the foreign and domestic tours of officials—should be converted into functional, clickable links. Regarding monthly salaries and allowances, full details of allowances alongside the basic pay should be provided, rather than merely indicating the pay level. Furthermore, all other information and details must be updated at least once a year. If information for a particular year is unavailable, a 'NIL' report may be submitted.

2. सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों को आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1)(बी)(vi) के अनुसार वेबसाइट पर रखा गया है। हालाँकि, हर कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स जैसे: एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टेब्लिशमेंट: सर्विस बुक्स, पर्सनल फाइल्स और (APAR/ACR)। फाइनेंस और अकाउंट्स: कैश बुक्स, सालाना बजट और ऑडिट रिपोर्ट्स। खरीद और टेंडर्स: कॉन्ट्रैक्ट्स, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स और परचेज ऑर्डर्स। ऑपरेशनल और पॉलिसी: स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (SOPs), मीटिंग मिनट्स और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। लीगल और RTI: RTI एप्लीकेशन से जुड़े पत्राचार, कोर्ट केस फाइल्स और विजिलेंस इन्क्वायरीज़ आदि के कस्टोडियन की जानकारी भी दी जा सकती है।

The categories of documents broadly held by public authority has been placed at the website as per section 4(1)(b)(vi) of the RTI Act. However, custodian of each category of documents e.g. Administrative & Establishment: Service books, personal files and (APAR/ACR). Financial & Accounts: Cash books, annual budgets and audit reports. Procurement & Tenders: contracts, bidding documents, and purchase orders. Operational & Policy: Standard Operating Procedures, meeting minutes and project reports. Legal & RTI: Correspondence related to RTI, court case and vigilance inquiries etc may also be shown.

3. DoPT के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/6/2011-IR दिनांक 15.04.2013 के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए आंतरिक स्थानांतरण नीति प्रकाशित करना एवं उसके आधार पर स्थानांतरण आदेश जारी करना आवश्यक है। यदि संस्थान के स्तर पर ऐसी कोई आंतरिक स्थानांतरण नीति उपलब्ध है तो उसे वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा सकता है।

In accordance with DoPT OM No. 1/6/2011-IR dated 15.04.2013, it is mandatory for a public authority to publish its internal transfer policy and issue transfer orders based on it. If any such an internal transfer policy exists at the institutional level, it may be published on the website.

4. संस्थान द्वारा RTI के बारे में उन्नत समझ के लिए CPIO/APIO एवं अन्य कर्मिकों के लिए नियमित अंतराल पर या साल में कम से कम एक बार RTI जागरूकता प्रोग्राम आयोजित किया जा सकता है। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी ने 2025-26 में iGot कर्मयोगी प्लेटफॉर्म सहित ऐसी कोई ट्रेनिंग ली है, तो सर्टिफिकेट वेबसाइट पर अपलोड किए जा सकते हैं।

The institute may organize RTI awareness programs for CPIOs/APIOs at regular intervals to foster an advanced understanding of the RTI Act. If any officer or employee has undergone such training—including on the iGot Karmayogi platform—during 2025-26, the corresponding certificates may be uploaded to the website. A trained or experienced senior officer may be appointed as the RTI Nodal Officer, and a committee of experienced PIOs/FAAs may be constituted to identify information frequently sought under the RTI.

5. FAQs नागरिकों को सेवाओं, प्रक्रियाओं और नीतियों को आसानी से समझने में मदद करते हैं, जिससे पूछताछ की ज़रूरत कम होती है और कार्यक्षमता बेहतर होती है। इन्हें वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा सकता है। साथ ही दिनांक 02.02.2024 को प्रकाशित मानक सिटिज़न चार्टर अद्यतन किया जा सकता है।

FAQs help citizens easily understand services, procedures, and policies, thereby reducing the need for inquiries and enhancing efficiency. These can be made available on the website. Additionally, the Standard Citizen Charter published on 02.02.2024 can be updated.

6. 'स्व-मूल्यांकन फॉर्म/रिपोर्ट' के अनुसार क्रम संख्या 5.1.1 के तहत एक अनुभवी उच्चाधिकारी को RTI का नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्ति, 5.1.4 के तहत 'स्वतः-प्रकटीकरण' पर सलाह देने वाली सलाहकार समिति का गठन एवं 5.1.5 के तहत RTI में अक्सर मांगी जाने वाली जानकारी की पहचान के लिए अनुभवी PIOs/FAAs की समिति का गठन किया जा सकता है।

As per the 'Self-Assessment Form/Report', appointment of an experienced senior officer as RTI Nodal Officer under Serial No. 5.1.1, constitution of a consultancy committee to advise on 'Self-Disclosure' under 5.1.4 and constitution of a committee of experienced PIOs/FAAs to identify frequently sought information under RTI under 5.1.5 may be done.

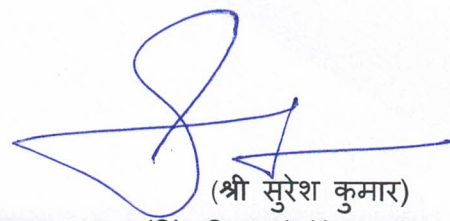
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान वर्ष 2025-26 के लिए RTI थर्ड-पार्टी ऑडिट में लगभग 82% स्कोर हासिल करने पर राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज), हैदराबाद का हार्दिक आभार व्यक्त करता है, प्राप्त स्कोर का मदवार वितरण इस प्रकार है:

Indian Agricultural Research Institute extends its sincere gratitude to National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE), Hyderabad for achieving almost 82% score in the RTI Third Party Audit for the year 2025-26 as per head wise distributions given as under:

Sl. No.	Head	Total Marks as per category selected by Public Authority in the self-appraisal	Marks Claimed by PA as per self-appraisal	Marks given by Auditor of RTI Third Party Audit
01	Organization and function	98	93	81
02	Budget and programmes	150	180	105
03	Publicity and public interface	175	150	169
04	E-governance	200	191	182
05	Information as prescribed	100	40	50
06	Information disclosed by own initiative	50	25	50
	Total	773	679	637

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज), हैदराबाद द्वारा प्राप्त यह उपलब्धि पारदर्शिता, जवाबदेही और आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत स्वेच्छा से जानकारी सार्वजनिक करने के नियमों का पालन करने के प्रति पब्लिक अथॉरिटी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

This achievement by National Institute of Agricultural Extension Management (MANAGE), Hyderabad reflects the public authority's commitment towards transparency, accountability, and adherence to the norms of 'proactive disclosure' under Section 4 of the RTI Act, 2005.


(श्री सुरेश कुमार)
(Sh. Suresh Kumar)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन) सह वरिष्ठ रजिस्ट्रार एवं ऑडिटर
Joint Director (Admin) cum Sr. Registrar & Auditor

सुरेश कुमार / SURESH KUMAR
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)-कम-वरिष्ठ रजिस्ट्रार
Joint Director (Admin.)-cum-Senior Registrar
भा.कृ.अ.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
ICAR-Indian Agricultural Research Institute
पूसा, नई दिल्ली / Pusa, New Delhi-110012